

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-2, बेतिया।

Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405
email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

प्रेषक,

पत्रांक :- 2987

पीयूष कुमार बरनवाल, भा.व.से.
वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-2, बेतिया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
पटना, बिहार।

दिनांक :- 23/09/24

विषय: समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है निविदा के प्रकाशन हेतु संलग्न सूचना(साफ्ट एवं हार्ड कॉपी) भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना को विभिन्न, राष्ट्रीय समाचार पत्रों के हिन्दी/अंग्रजी संस्करण में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त - (पी.डी.एफ. फाईल, सी0डी0 सहित)।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-2, बेतिया।

ज्ञापांक...2987... दिनांक...23/09/24/

प्रतिलिपि :-

- (1) मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.) बिहार, पटना को आम नीलामी के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
- (2) आई.टी. मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि संबंधित नीलामी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाये।
- (3) वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प0 चम्पारण, बेतिया को अनुलग्नक के प्रति के साथ सूचनार्थ समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-02, बेतिया।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय - वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-02, बेतिया
Forest colony, Peonibagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran,
Bihar-855438.

Email-dfobettiah2@gmail.com

विभागीय वाहनों की आम नीलामी की सूचना-02/2024-25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल-02, बेतिया कार्यालय के उन्नीस वाहनों की नीलामी "जहाँ है, जैसे है" के आधार पर खुली डक द्वारा दिनांक 25.10.2024 को अपराह्न 12:30 बजे पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा-02 प्रखण्ड के अंतर्गत गनौली वन प्रक्षेत्र कार्यालय में की जायेगी। इच्छुक क्रेता उपरोक्त तिथि एवं समय तक प्रक्षेत्र कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। नीलामी संबंधी अन्य जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-02, बेतिया के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत है :-

क्र०	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	अनुमानित मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3		4.
1	टाटा सुमो	BR-22P-2423	75000	संबंधित वाहन गनौली वन प्रक्षेत्र स्थित विभागीय परिसर में है।
2	जिप्सी	BR-46-8060	50200	
3	टाटा, 407	BR-22A-2982	50000	
4	बेलेरो कैम्पर	BR-22J-5983	45000	
5	टाटा-207	BR-22G-5675	50000	
6	बेलेरो कैम्पर	BR06GA7839	45000	
7	जीप महिन्द्रा	BHI-9193	35000	
8	ट्रैक्टर जेटर	BHE-1407	35000	
9	ट्रैक्टर इन्टरनेशनल	BHE-691	30000	
10	ट्रक	BHE-512	75000	
11	राजदूत मोटरसाईकिल	Ch. No-1678508A/99	5000	
12	बेलेरो कैम्पर	BR22J-4425	45000	
13	बेलेरो कैम्पर	A	40000	
14	बेलेरो कैम्पर	B	40000	
15	बेलेरो कैम्पर	BR22J-5800	40000	
16	ट्रैक्टर इन्टरनेशनल	BHE-1126	35000	
17	ट्रैक्टर इन्टरनेशनल	BHE-1127	35000	
18	एच.एम.टी. जेटर ट्रैक्टर	BHE-1772	35000	
19	राजदूत मोटरसाईकिल	BHE-9449	5000	

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. वाहन की विक्री आम निलामी से की जायेगी।
2. डाक बोलने के पूर्व इच्छुक डाक वक्ता को प्रतिभूति राशि के रूप में रु. 5000/- दिनांक- 19.10.2024 से 24.10.2024 तक कार्य अवधि में कंडिका-13 में वर्णित Annexure-A के साथ देना अनिवार्य है। इच्छुक खरीदार को जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट DFO-cum- DD, Valmiki Tiger Reserve, Division-02, Bettiah के नाम पर बनवाना है। भुगतान बेतिया में होगा।
3. डाक बोलने के पूर्व इच्छुक डाक वक्ता निर्धारित तिथि एवं कार्य अवधि में 5000/- (पांच हजार रु.) नगद राशि भी गनौली वन प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कर मनी रसीद प्राप्त करने के उपरांत आम निलामी में भाग ले सकते हैं।
4. वर्णित वाहनों का निर्धारित तिथि को आम निलामी में अगर विक्री नहीं हो पाती है, तो आने वाले कार्य अवधि के प्रत्येक मंगलवार को निर्धारित समय पर वाहन आम निलामी हेतु उपलब्ध रहेगी। उक्त क्रम में डाक बोलने के पूर्व इच्छुक डाक वक्ता निर्धारित कार्य अवधि में निर्धारित दिन मंगलवार को 12:00 बजे अपराहन तक 5000/- (पांच हजार रु.) नगद राशि जमा कर मनी रसीद प्राप्त करने के उपरांत आम निलामी में भाग ले सकते हैं।
5. उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाक वक्ता असफल निलामीकर्ता की प्रतिभूति राशि उसी दिन निलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी। उच्चतम बोली राशि का पचीस प्रतिशत का भुगतान उसी समय किया जाना होगा।
6. आम निलामी में विभागीय प्रक्रिया के तहत उच्चतम बोली बोलने वाले को वाहन का क्रेता माना जायेगा।
7. उच्चतम डाक वक्ता को समाप्ति के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर आंकलित राशि एवं नगद/ बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
8. उच्चतम डाक वक्ता द्वारा राशि जमा नहीं करने अथवा उच्चतम बोली बोलने के बाद वाहन लेने से इंकार करने पर उसकी अग्रधन जप्त कर ली जायेगी तथा उसके पश्चात् द्वितीय उच्चतम अर्पणकर्ता को क्रय का मौका दिया जा सकेगा।
9. उच्चतम डाक वक्ता के रूप में वाहन लेने वाले व्यक्तियों से विक्री मूल्य के अतिरिक्त जी.एस.टी., आयकर एवं अन्य कर अलग से देय होगा।
10. उच्चतम राशि वक्ता को एक सप्ताह के अन्दर निलामी किये गये वाहनों को यथा स्थान से लेना जाना होगा।
11. वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया को यह अधिकार होगा कि आम निलामी में रखे गये वाहन की निलामी को किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

12. निलामी की शर्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। एवं उक्त शर्तों/ शिर्षकों/ शर्तों/ शर्तों से प्राप्त किया जा सकता है।

13. Annexure- A (जमानत की राशि जमा करने का फॉर्म)

(क) बोली लगाने वाले का नाम


(ख) बोली लगाने वाले का पता

(ग) मोबाईल संख्या

जमानत की राशि	ड्राफ्ट संख्या / मनी रसीद संख्या	ड्राफ्ट / मनी रसीद की तारीख
रु. 5000/- (पांच हजार रु. मात्र)		

बोली लगानेवाले का हस्ताक्षर

14. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रमाण स्वरूप में पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन-पत्र में संलग्न किया जाना आवश्यक है।
15. आम निलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को वाहन की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
16. निलामी की स्वीकृति के उपरांत अनुसमर्थन पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण राशि जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित वाहन निलामी रद्द करते हुए जमा की गयी अग्रधन राशि को राज्यसात/ जप्त कर लिया जायेगा। एवं उक्त क्रेता को काली सूची (Black Listed) में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
17. निलामी क्रेता द्वारा वाहन का निबंधन स्वयं कराया जायेगा। विभाग द्वारा मात्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
18. किसी भी कार्य दिवस पर उक्त वाहनों को देखा जा सकता है एवं निलामी से संबंधित जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मो. संख्या- 9534912977


वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमण्डल-02, बेटिया।

